सं0 स0 14/विविध–9/2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषयः सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में मार्गदर्शन/दिशा निर्देश ।

राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति/अनुमति में विभिन्न प्रकार की कठिनाईया आ रही है, जिससे सरकारी कर्मियों एवं उनके आश्रितों को ससमय चिकित्सा सुविधा प्राप्ति में कठिनाईयों एवं अनावश्यक विलम्ब का सामना करना पड़ता है । कई परिस्थितियों में सरकारी कर्मियों द्वारा विभागीय जटिलताओं के कारण प्रतिपूर्ति का दावा छोड़ देना भी पड़ रहा है । सरकारी कर्मियों एवं विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु बार–बार अनुरोध पत्र प्राप्त हुए है ।

उक्त इन्हीं कठिनाईयों को दृष्टिपथ में रखते हुए सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जटिलताओं को दूर करने हेतु संकल्पित है ।

2. इस निमित्त माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति का सुझाव/अनुशंसा एवं सम्यक विचारोपरान्त राज्य के कर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति में होने वाली कठिनाईयों को दूर करने हेतु निम्न प्रावधान किये गये है :–

3. (क) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्त्तमान सदस्य / अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी एवं राज्य कर्मी को राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के सरकारी /सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी । बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–14/विविध–38/2006–1079(14), दिनांक 07 अगस्त, 2007 के उपरान्त जो भी स्पष्टीकरण (Clarification) बिना सरकार की अनुमति से निर्गत है उन्हें एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा ।

(ख) राज्य से बाहर एवं अंदर गैर सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराये जाने की स्थिति में सी0जी0एच0एस0 दर पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगी ।

4. अन्तर्वासी चिकित्सा हेतु कमरा शुल्क निम्नवत होगा :–

(i) ग्रेड–पे – 8700/– एवं इसके उपर के कर्मियों को प्राइवेट रूम का खर्च देय होगा । यह सुविधा विधान मंडल के सदस्य/पूर्व सदस्य को भी उपलब्ध रहेगी ।

(ii) ग्रेड पे – 6600/– से ग्रेड पे – 8700/– तक के कर्मियों को सेमी प्राईवेट रूम का खर्च देय होगा ।

(iii) ग्रेड पे – 6600/– के नीचे के कर्मियों को जेनरल वार्ड का खर्च देय होगा ।

(iv) आई0सी0यू0 चिकित्सा के मामले में सभी कर्मियों को बेड चार्ज के व्यय की कुल राशि अनुमान्य होगी ।

(v) जहाँ बेड का कैटेगराइजेशन उपलब्ध नहीं हो तो सभी ग्रेड पे के कर्मियों हेतु सी0जी0एच0एस0, मार्गदर्शिका/दर के अनुरूप मान्य होगा ।

(vi) किसी भी परिस्थिति में डिलक्स/सेमी डिलक्स रूम का चार्ज देय नहीं होगा ।

5. राज्य के बाहर बिना पूर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये इलाज की घटनोत्तर स्वीकृति बिहार उपचार नियमावली के नियम–26 के अन्तर्गत संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव प्रदान करेंगे ।

6. राज्यकर्मियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति पूर्व के प्रावधानों को संशोधित करते हुए निम्नवत होगी :–

(i)	50 हजार रू0 तक –	संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा विपत्रों की अनुमान्यता एवं शुद्धता के जॉचोपरान्त नियंत्री पदाधिकारी द्वारा ।
(ii)	50 हजार रू0 से उपर 5 लाख रू0 तक –	संबंधित मेडिकल कॉलेज/ अस्पतालों के अधीक्षकों की अध्यक्षता में गठित त्रि–सदस्यीय समिति की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग के विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव द्वारा ।
(iii)	5 लाख से उपर –	वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा ।

(iv) विधान मंडल के पूर्व एवं वर्तमान सदस्य तथा अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारी को आउटडोर चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकारी चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने की स्थिति में किया जा सकेगा ।

(v) 5 लाख रू0 तक चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा तथा इससे उपर की स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव द्वारा दी जायेगी ।

7. (i) दंत चिकित्सा (Tooth extraction, RCT, Tooth implantation) पर हुए सम्पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप होगी, परंतु कास्मेटिक चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी ।

(ii) पेसमेकर Implantation, नेत्र (लेंस इम्पलान्ट) तथा कॉकलीयर इम्पलान्ट संबंधी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति कंडिका–3 के अनुरूप की जायेगी ।

8. सरल प्रतिपूर्ति प्रमाण पत्र (प्रपत्र) एवं संबंधित मेडिकल कॉलेज अस्तपतालों के अधीक्षकों को जिला/प्रमंडलवार चिकित्सा विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अलग से मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।

9. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

10. यह संकल्प निर्गत होने वाली तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

ह0/–
(शेखर चन्द्र वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–अधीक्षक,सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 946(14) पटना, दिनांक 14/8/15

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव सभी विभाग/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ अधीक्षक, सभी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल/प्राचार्य, सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन नई दिल्ली/आई. जी. आई. सी. पटना/जय प्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशीनगर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/8/15
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\rajeh kumar\sankalp\latest Medical Rules Cabinet note.doc